

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

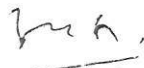
क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-77/2013)/अलेसे-III/ 4686

दिनांक :- 31.10.19

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधानस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए निम्नानुसार कॉलम 04 एवं 05 में अंकित अवधि के वेतन आहरण की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है:-
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	कर्तव्य अवधि (एपीओ अवधि के पूर्ववर्ती राजपत्रित अवकाश की अवधि)	
1	2	3	4	5	6
1	10153	श्री सरवण कुमार जाट, क0 लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)	दि. 18.02.2019	दि.16.02.2019 एवं 17.02.2019	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज., जयपुर


(मुकुन्द जोहोनी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-77/2013)/अलेसे-III/ 4686

दिनांक :- 31.10.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला परिवहन अधिकारी, कोटपूतली को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका कार्यालय निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज., जयपुर को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज., जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करवाते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करवाने की व्यवस्था करावें।
3. श्री सरवण कुमार जाट, कनिष्ठ लेखाकार (प्रशि. परिवी.), कार्यालय निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
5. उप निदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)